न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (एस.डी.ओ.) सिणधरी

पीठासीन अधिकारी :श्री जगदीश सिंह आशिया, आर.ए.एस.

राजस्व आवेदन संख्या 13 / 2024

प्रार्थीगण	बनाम	विप्रार्थीगण
1. जवाराम पुत्र राहूराम निवासी गालानाडी तहसील सिणधरी जिला बालोतरा		1. अर्जुनराम पुत्र खेताराम 2. रामाराम पुत्र खेताराम 3. केशाराम पुत्र खेताराम 4. गवरीदेवी पत्नि खेताराम 5. भानाराम पुत्र पुराराम 6. भेराराम पुत्र पुराराम 7. भारूराम पुत्र नारणााराम 8. जेठाराम पुत्र नारणाराम 9. आसुराम पुत्र विशनाराम 10. कुम्भाराम पुत्र विशनाराम 11. थानाराम पुत्र विशनाराम 12. रम्भादेवी पुत्री विशनाराम 13. विमला पुत्री विशनाराम 14. पेमी [illegible] राम निवासी सिणधरी चारणान तहसील सिणधरी, बालोतरा 15. शाखा प्रबन्धक, शाखा प्रबन्धक एस.बी.आई सिणधरी

Signature Not Verified

Digitally signed by Jagdish Singh Ashiya
Date: 2024.09.04 14:54:49 IST
Reason: SelfAttested

16 तहसीलदार सिणधरी

17 शाखा प्रबन्धक आर.एम.जी.बी. सिणधरी

राजस्व आवेदन अन्तर्गत धारा 251 क, आर.टी एक्ट 1955

उपस्थिति–

1. श्री जोगराज पोटलिया, वकील प्रार्थीगण की ओर से उपस्थित।
2. प्रतिवादीगण 1 से 15 व 17 एकतरफा। राज.पैरोकार नायब तहसीलदार(उपखण्ड कार्यालय सिणधरी) विप्रार्थी संख्या 16 की ओर से अनुपस्थित।

आदेश

दिनांक–09.07.2024

1. संक्षेप में आवेदन के सुसंगत तथ्य इस प्रकार है, कि प्रार्थी की खातेदारी भूमि खसरा संख्या 204/1 रकबा 2.0063 हैक्टेयर राजस्व ग्राम गालानाडी पटवार क्षेत्र चाडो की ढाणी, तहसील सिणधरी में अवस्थित है। उक्त खेत से सड़क मार्ग तक आने जाने हेतु विप्रार्थीगण की खातेदारी खेत संख्या 205 रकबा 2.6373 हैक्टेयर राजस्व ग्राम गालानाडी पटवार क्षेत्र चाडो की ढाणी, तहसील सिणधरी भूमि आयी हुई है। एवं काश्त के समय प्रार्थी की जोत खसरा संख्या 204/1 के चारों ओर से काश्तकार अपनी काश्त कर लेते है जिससे प्रार्थीगण को अपनी जोत में जाने से बाधित हो जाते है एवं हर बार रास्ते को लेकर भारी विरोध होता है। जिससे प्रार्थीगण को अपने खेत तक आने जाने में समस्या आती है। विप्रार्थीगण का खेत सरकारी रास्ता से जुड़ा है जो मौके पर स्थाई रूप से बारहमासी चलायमान सरकारी रास्ता है और उक्त प्रस्तावित रास्ता ही प्रार्थीगण के लिए सुविधा जनक है,क्योंकि उक्त अनकटा रास्ता इस हेतु ... को आत्यन्तिक आवश्यकता है। अतः प्रार्थी

Signature Not Verified
Digitally signed by Jagdish Singh Ashiya
Date: 2024.09.04 14:54:49 IST
Reason: SelfAttested

खसरा संख्या 205 रकबा 2.6373 हैक्टेयर राजस्व ग्राम गालानाडी पटवार क्षेत्र चाडो की ढाणी, तहसील सिणधरी में से होकर गुजरते हुए रास्ते के रूप में प्रयुक्त हो रही भूमि का राजस्व रिकॉर्ड में सरकारी खाते में गैर मुमकिन रास्ता दर्ज करवाने हेतु यह आवेदन प्रस्तुत किया है।

2.प्रार्थी का आवेदन दर्ज रजिस्टर कर विप्रार्थीगण को जरिये रजिस्टर्ड नोटिस तलब किया गया। विप्रार्थीगण के नोटिस तामील शुदा प्राप्त हुई। विप्रार्थी संख्या 1 से 15 व 17 को सुनवाई का पर्याप्त अवसर दिये जाने के उपरांत भी जवाब प्रस्तुत नहीं करने पर उनके विरूद्ध एकतरफा कार्यवादी अमल में लाई गई। विप्रार्थी संख्या 16 की ओर से राज.पैरोंकार नायब तहसीलदार उपस्थित हुए। विवादित भूमि की मौका रिर्पोट तहसीलदार सिणधरी से तलब की गई।

3. प्रार्थी अधिवक्ता की बहस सुनी गई। वकील प्रार्थी ने आवेदन के तथ्यों को दोहरातें हुए बहस कि थी कि प्रार्थी की सहखातेदारी भूमि खसरां संख्या 204/1 रकबा 2.0063 हैक्टेयर राजस्व ग्राम गालानाडी पटवार क्षेत्र चाडो की ढाणी, तहसील सिणधरी में अवस्थित है। उक्त खेत से सड़क मार्ग तक आने जाने हेतु विप्रार्थीगण की खातेदारी खेत संख्या 205 रकबा 2.6373 हैक्टेयर राजस्व ग्राम गालानाडी पटवार क्षेत्र चाडो की ढाणी, तहसील सिणधरी भूमि आयी हुई है। एवं काश्त के समय प्रार्थी की जोत खसरा संख्या 204/1 के चारों ओर से काश्तकार अपनी काश्त कर लेते है जिससे प्रार्थी को अपनी जोत में जाने से बाधित हो जाते है एवं हर बार रास्ते को लेकर भारी विरोध होता है। जिससे प्रार्थीगण को अपने खेत तक जाने में समस्या आती है। विप्रार्थीगण का खेत सरकारी रास्ता से जुड़ा है और मौके पर स्थाई रूप से बारहमासी चलायमान सरकारी रास्ता है और उक्त प्रस्तावित रास्ता ही प्रार्थी के लिए सुविधा जनक है,क्योंकि उक्त अनकटा रास्ता इस हेतु इकलौता विकल्प है तथा रास्ते ... कथन किया कि प्रस्तावित रास्ते

Signature Not Verified
Digitally signed by Jagdish Singh Ashiya
Date: 2024.09.04 14:54:49 IST
Reason: SelfAttested

2024 के अनुसार प्रार्थी को रास्ता दिए जाने की अनुशंषा की गई है। अत तहसीलदार सिणधरी की रिपोर्ट के अनुसार प्रार्थी के पक्ष में रास्ता निकालने की स्वीकृति प्रदान करते हुए उक्त रास्ता राजकीय खाते मे गैर मुमकिन रास्ते के रूप में दर्ज किया जाते। प्रार्थी रास्ते में जाने वाली भूमि के बदले विप्रार्थी संख्या 1 से 14 को न्यायालय द्वारा निर्धारित क्षतिपूर्ति राशि अदा किये जाने से भी राहमत है। इससे अदालत को यह प्रतीत होता है,कि वादी के वाद को स्वीकार किये जाने की विप्रार्थीगण की स्वीकृति है। ऐसी सूरत में उक्त प्रस्तावित रास्ता स्वीकृत किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है और तहसीलदार सिणधरी द्वारा प्रस्तावित रास्तें का मौका मुआयना करने से पूर्व जरिये नोटिस पक्षकारान को सूचित किया जाकर उनकी उपस्थिति में मौका जांच कार्यवाही की गई। जो मौका रिपोर्ट के संलग्न नोटिस अवलोकन से भी स्पष्ट है। इस प्रकार रास्ते हेतु खसरा संख्या 205 क्षेत्रफल 2.6373 हैक्टयर में लम्बाई 16 मीटर व चौड़ाई 6 टर रकबा 0.0096 हैक्टयर का रास्ता प्रस्तावित किया गया। उक्त प्रस्तावित भूमि की एल.सी. दर अंसिचित सड़क के पास राशि–4,76,915/–रूपयें प्रति हैक्टयर है। मानुसार रास्ते में प्रभावित भूमि के खातेदारान को उक्त भूमि की डी.एल.सी दर से ी राशि प्रार्थीगण से दिलवाने जाने का प्रावधान है। इस प्रकार मौजा गालानाडी र क्षेत्र चाडो की ढाणी, तहसील सिणधरी के खेत खसरा संख्या 205 क्षेत्रफल 2. हैक्टयर में लम्बाई 16 मीटर व चौड़ाई 6 मीटर रकबा 0.0096 हैक्टयर की 9200/–विप्रार्थी संख्या 1 से 14 को दी जानी प्रस्तावित है। उपर्युक्त विवेचन से है,कि प्रार्थीगण को रास्ते की आत्यन्तिक आवश्यकता है और उक्त रास्ते के अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता भी उपलब्ध नहीं है। इस प्रकार प्रार्थीगण रास्ता हकदार है। प्रार्थीगण रास्ते की भूमि के बदले क्षतिपूर्ति राशि अदा किये जाने त है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Jagdish Singh Ashiya
Date: 2024.09.04 14:54:49 IST
Reason: SelfAttested

ा प्रार्थीगण का आवेदन स्वीकार किया जाकर मौजा गालानाडी पटवार क्षेत्र सिणधरी तहसील सिणधरी के खेत खसरा संख्या 205 क्षेत्रफल 2.6373 हैक्टयर

में लम्बाई 16 मीटर व चौड़ाई 6 मीटर रकबा 0.0096 हैक्टयर की राशि–9200/–विप्रार्थी संख्या 1 से 14 को भुगतान करते हुए मौका रिपोर्ट के संलग्न दर्शित नक्शे में बरंग लाल कलर ––दर्शाये अनुसार चौड़ा रास्ता निकालने की स्वीकृति प्रदान की जाती है। प्रार्थी द्वारा विप्रार्थी संख्या 1 से 14 को क्षतिपूर्ति कुल राशि–9200/–अक्षरे नौ हजार दौ सौ रूपयें मात्र तहसील कार्यालय सिणधरी में संधारित जी.ए.55 रसीद के जरिये राजकोष में जमा करवाये जाने पर तहसीलदार सिणधरी को उपरोक्तानुसार में प्रस्तावित रकबानुसार रास्ते में जाने वाली भूमि का राजकीय खाते में गैर मुमकिन रास्ते के रूप में राजस्व रिकार्ड में अमलदरामद एवं नक्शा ट्रेस में दुरूस्ती सुनिश्चित करने के आदेश दिये जाते है। तहसीलदार सिणधरी के पत्र कमांकःभू.अ./वाद/2024/1870 दिनांक 02.07.2024 के द्वारा प्रेषित मौका रिपोर्ट के संलग्न नक्शा उक्त आदेश का अभिन्न अंग रहेगा।

(जगदीश सिंह आशिया)
उपखण्ड अधिकारी सिणधरी

आदेश आज दिनांक 09.07.2024 को लिखा जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Jagdish Singh Ashiya
Date: 2024.09.04 14:54:49 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी सिणधरी